

तार : 'फूडकॉर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
०६६१११२३४१३२४१
००६१११२३४१३१०३
Fax No. : HFCI ND
00911123413241
00911123413103

भारतीय
खाद्य
निगम



FOOD
CORPORATION
OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००१, दूरभाष-२३४१३८७१-२३४१४८७२-२३४१४८८०
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 23413871-23414872-23414880

संख्या 1.12/एफ ए पी/इंपलीमेंटेशन/2013

दिनांक 15-02-2014

परिपत्र संख्या 18/2014

विषय: फैप के माध्यम से सावधि परिसम्पत्तियों को लेखांकन।

सावधि परिसम्पत्तियों की समीक्षा की गयी और फैप में सावधि परिसम्पत्तियों के लेन-देन के लेखांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता है।

1. आरंभिक शेष की अपलोडिंग:

क) सावधि परिसम्पत्ति मॉड्यूल जिसका नाम "यूनिट कोड एसेट बुक" के रूप में उदाहरणतः ई ए 11 एसेट बुक है, उसमें प्रत्येक इकाई के लिए एसेट बुक सृजित की जाएगी।

ख) सभी इकाई कार्यालय फैप में अपलोड करने के लिए विहित डॉटा टेम्प्लेट में सावधि जमाओं के डाटा उपलब्ध करायेंगे। सावधि परिसम्पत्ति के लेन-देन के लिए मासिक कलैण्डर निर्धारित किया गया है। फिर भी, अंतिम प्रयोक्ता के प्रयोग में आसानी के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2013 को सेवारत रहने की तिथि, स्थान सहित 20 फरवरी, 2013-14 के कलैण्डर माह में मुख्यालय द्वारा आरंभिक शेष डॉटा अपलोड किया जाएगा ताकि 1 अप्रैल, 2013 से मूल्यहास की गणना की जा सके।

ग) फील्ड कार्यालय, मुख्यालय द्वारा डॉटा अपलोड करने के बाद उसकी सटीकता के लिए सावधि परिसम्पत्ति परिवर्धन रिपोर्ट का प्रयोग करते हुए आरंभिक शेष की जांच करेंगे। परिवर्धन प्रकार (एडीशन टाईप) पैरामीटर को "OB" के रूप में सिलैक्ट किया जायेगा।

2. नई परिसम्पत्तियों का परिवर्धन

क) यदि नई परिसम्पत्ति खरीदी जाती है तो सामान्यतः उसका लेन-देन पेयबलस मॉड्यूल खाते में दर्ज किया जाएगा और परिसम्पत्तियों का उचित लेखा-जोखा, बीजक के वितरण में दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सावधि परिसम्पत्तियों के लेन-देन में 'ट्रैक एज एस्सेट' क्षेत्र की भी जांच की जाए। बीजक में परिसम्पत्ति के लिए विभिन्न लाइन बनाने के लिए विभिन्न लाइनें दर्ज की जायेगी।

ख) पेयबल मॉड्यूल के माध्यम से सभी सावधि परिसम्पत्तियों को दर्ज करने के बाद, प्रत्येक वर्ष की जी एल तिथि 28 फरवरी देने के साथ क्षेत्र कार्यालय "क्रिएट माँस एडीशन कार्यक्रम चलायेंगे।

- ग) माँस एडीशन कार्यक्रम पूरा करने के बाद, उपभोक्ता "प्रीमेयर मास एडीशन" तैयार करेंगे और यूजर गाइड में दिए विवरण के अनुसार वांछित विवरण दर्ज करके सावधि परिसम्पत्ति माँड्यूल में नई परिसम्पत्तियाँ सृजित करेंगे। सावधि परिसम्पत्ति के लिए विभिन्न लाइन तैयार करने हेतु देय बीजकों में विभिन्न लाइनें दर्ज की जाएंगी। यद्यपि, सटीक सम्पत्ति तैयार करने के लिए आवश्यकतानुसार मास एडीशन लाइन को जोड़ा अथवा तोड़ा जा सकता है।
- घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक वर्ष जनवरी तक ह्रास चलाया (रन) जाए तथा 01 अप्रैल से 28 फरवरी के बीच खरीदी नई परिसम्पत्तियों को केवल फरवरी कलैण्डर माह में ही जोड़ी जाएं। मार्च माह में खरीदी गई परिसम्पत्ति मार्च माह में ही जोड़ी जाए।
- ङ) परिसम्पत्ति जोड़ते हुए "सेवा में लाने की तिथि" वह वास्तविक तिथि होनी चाहिए जिसको वह परिसम्पत्ति प्रयोग में लाई गई है, जिससे कि सिस्टम, सेवा में लाने की तिथि से सटीक ह्रास की गणना कर सके।
- च) मास एडीशन लाइन जोड़ने के बाद, परिसम्पत्ति सृजित करने हेतु यूजर गाइड का अनुपालन करते हुए उसे सिस्टम पर पोस्ट किया जाए।
- छ) जोड़ी गई परिसम्पत्तियों के सत्यापन के लिए "सावधि परिसम्पत्ति एडीशन रिपोर्ट" का प्रयोग करें।

3. सावधि परिसम्पत्तियों की बिक्री हटाना (रिटायरमेंट)

- क) 01 अप्रैल से 31 मार्च तक बेची अथवा हटाई गई सभी परिसम्पत्तियों को मार्च के कलैण्डर माह के सावधि परिसम्पत्ति माँड्यूल में से हटा दिया जाए।
- ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि सावधि परिसम्पत्ति माँड्यूल में से कोई भी परिसम्पत्ति हटाने से पूर्व फरवरी माह के लिए ह्रास को चलाया (रन) दिया जाए।
- ग) हटायी जाने वाली परिसम्पत्तियों का चयन कर उन्हें सावधि परिसम्पत्तियों को "एसेस्ट्स वर्कबेंच" के माध्यम से हटाया जा सकता है। परिसम्पत्तियों को हटाने के लिए यूजर गाइड का अनुपालन किया जाए। हटाने की तिथि को ही परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा परिसम्पत्तियों को हटाने की वास्तविक तिथि माना जाए। बिक्री की आय ही परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त वास्तविक बिक्री आय होगी।
- घ) वास्तविक बिक्री आय की रसीद, उपभोक्ता के नाम में मानक रसीद सृजित कर और बिक्री खाते की आय (लेखा खाता शीर्ष 2421) के रूप में राजस्व खाते के साथ मानक बीजक सृजित कर प्राप्य माँड्यूल में दर्ज की जाएगी।
- ङ) एफ ए माँड्यूल द्वारा परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ अथवा हानि की गणना स्वतः हो जाएगी। सावधि परिसम्पत्ति को हटाने पर सावधि परिसम्पत्ति माँड्यूल द्वारा निम्नलिखित लेखांकन दर्ज किए जाएंगे। "मूल्यह्रास रिजर्व खाता" बिक्री खाते की आय (लेखा शीर्ष 2421) बिक्री खाते की हानि (लेखा शीर्ष 2416) परिसम्पत्ति खाते की बिक्री पर लाभ (लेखा शीर्ष 2411) सावधि परिसम्पत्ति खाता cr.
- च) हटायी गयी परिसम्पत्ति का सत्यापन "परिसम्पत्ति निवृत्ति रिपोर्ट" से किया जा सकता है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियों का स्थानांतरण:

- क) स्थायी परिसम्पत्तियों में से स्थानांतरण:

i) परिसम्पत्ति को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण करने वाली इकाई को हटाने के लिए बनाई गई प्रक्रिया के अनुपालन के अनुसार परिसम्पत्ति को हटाना होगा। परिसम्पत्ति के स्थानांतरण होने की दशा में रेफर्ड स्टेटस का प्रयोग उस इकाई कोड के साथ डी एफ एम में किया जाएगा जिसे परिसम्पत्ति स्थानांतरित की गयी है।

ii) बिक्री की आय को परिसम्पत्ति के निवल बुक मूल्य (लागत-संचित मूल्यहास रिजर्व) के रूप में लिया जाएगा ताकि स्थायी परिसम्पत्ति मॉड्यूल द्वारा निवृत्ति पर कोई लाभ अथवा हानि स्वीकृत न की जाए।

iii) परिसम्पत्ति को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित दैनिक प्रविष्टि की जाएगी:

आईओएटी – परिसम्पत्ति खाते की लागत (लेखा शीर्ष 0971) Dr. आईओएटी – मूल्यहास रिजर्व लेखा (लेखा शीर्ष 0972) Cr. बिक्री खाते की आय (लेखा शीर्ष 2421) Cr

(परिसम्पत्ति की लागत और संचित मूल्यहास रिजर्व के लिए आईओएटी के दो अलग-अलग खाते निर्धारित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूनिट कार्यालय नई इकाई में परिसम्पत्तियों जोड़ते समय सही लागत और संचित मूल्यहास को गणना कर सकें)

(ख) स्थायी परिसम्पत्ति का स्थानांतरण:

i) अन्य इकाइयों से स्थानांतरित होकर आई परिसम्पत्तियों को स्थायी परिसम्पत्ति मॉड्यूल में शीघ्र जोड़ के द्वारा नई परिसम्पत्ति के रूप में जोड़ा जाएगा। परिसम्पत्ति के प्रकार को जिनमें वह स्थानांतरित होकर आई है, उसके इकाई कोड के साथ स्थानांतरित के रूप में लिया जाएगा।

ii) आओएटी में प्राप्त विवरण के अनुसार, परिसम्पत्ति लागत और संचित मूल्यहास सही से लिया जाएगा।

iii) स्थानांतरण होकर आई परिसम्पत्ति के लिए निम्नलिखित दैनिक प्रविष्टि की जाएगी:

स्थायी परिसम्पत्ति खाता Dr.

आईओएटी - मूल्यहास रिजर्व खाता (लेखा खाता शीर्ष 0972) Dr.

आईओएटी – परिसम्पत्ति खाते की लागत (लेखा खाता शीर्ष 0971) मूल्यहास रिजर्व खाता... Cr.

(ग) स्थानांतरण किए गए अथवा स्थानांतरण होकर आई परिसम्पत्ति की रिपोर्ट, परिसम्पत्ति एडीशन रिपोर्ट अथवा परिसम्पत्ति निवृत्ति रिपोर्ट में परिसम्पत्ति के प्रकार का पैरामीटर "स्थानांतरित" के रूप में चुनकर सत्यापित की जा सकती है।

5. मूल्यहास लेखांकन:

(क) प्रत्येक इकाई को माहवार अवधि समाप्ति गतिविधि के भाग के रूप में मूल्यहास को चलाना (रन) होगा

(ख) इकाई कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने के बाद कि स्थायी परिसम्पत्ति माँड्यूल से संबंधित सभी लेन-देन दर्ज कर लिए गए हैं और उनकी सटीकता जांच ली गई है, तब वे फरवरी और मार्च माह का मूल्यहास रन करेंगे।

(ग) मूल्यहास एक बार बंद होने के बाद वापस नहीं हो सकता। अतः क्षेत्र कार्यालयों द्वारा यह अवधि बड़ी सावधानी से बंद की जाए।

6. उपयोग करने के लिए निम्नलिखित रिपोर्ट फील्ड कार्यालयों/मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं

क) स्थायी परिसम्पत्ति एडीशन रिपोर्ट

ख) स्थायी परिसम्पत्ति निवृत्ति रिपोर्ट

ग) स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर

घ) कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थायी परिसम्पत्ति अनुसूची

ड.) आयकर अधिनियम के अनुसार स्थायी परिसम्पत्ति अनुसूची

च) सीआईपी एडीशन रिपोर्ट

(आर. आर. अग्रवाल)
महाप्रबंधक (एफ.ए.पी.)